संख्या-175/2025/1918/010-23-9002(002)/25/2025

प्रेषक,

शिव कुमार
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ:: दिनांक 31 अक्टूबर, 2025**

विषय - वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 07 चालू कार्य पर अवशेष धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित पत्र) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 07 चालू कार्य हेतु तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उक्त चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 4,64,42,000/- (रूपये चार करोड़ चौसठ लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1),लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत/ प्रावैधिक स्वीकृति	बचत	बचत की उपरांत कार्य की लागत	अब तक आवंटन	प्रावैधिक स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15367/CE-HQ1/VR(PURNIRMAN)/MRT/2025-26 Dt- 11-07-2025	प्रा.ख. हापुड	प्राथमिकविधालय रामपुर न्यामतपुर से बाबा सिदधनाथ होते हुए ग्राम मौहम्मदपुर शाकरपुरमार्ग का नवनिर्माण	87/2025/547/001-23-9002(002)/15/2025- दिनांक-18-03-2025	242.62 242.62	13.97	228.65	1.40	227.25	159.08
2	15367/CE-HQ1/VR(PURNIRMAN)/MRT/2025-26 Dt- 11-07-2025	प्रा.ख. हापुड	पीपलाबन्दपुरसेबडौदाहिन्दवान मार्ग का नवनिर्माण	87/2025/547/001-23-9002(002)/15/2025- दिनांक-18-03-2025	114.75 114.75	9.36	105.39	0.65	104.74	73.32
3	15886/CE-HQ1/VR(PURNIRMAN)/MRT/2025-26 Dt- 21-08-2025	प्रा.ख. बुलन्दशहर	अहमदानगरसे ताजपुर प्राइमरी स्कूल तक नवनिर्माण का कार्य।	87/2025/547/001-23-9002(002)/15/2025- दिनांक-18-03-2025	111.43 111.43	7.95	103.48	70.05	33.43	28.26
4	16686/CE-HQ1/VR(PURNIRMAN)/MRT/2025-26 Dt- 23-09-2025	नि.ख.-2 गाजियाबाद	ढिंढारसे मिलक रावली मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	87/2025/547/001-23-9002(002)/15/2025- दिनांक-18-03-2025	178.87 178.87	2.23	176.64	103.78	72.86	60.00
5	16354/CE-HQ1/VR(PURNIRMAN)/MRT/2025-26 Dt- 16-09-2025	नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर	डिबाई-घुसरानासम्पर्क मार्ग (औखंद) से घुसराना हरी सिंह मार्ग का नव निर्माण का कार्य	87/2025/547/001-23-9002(002)/15/2025- दिनांक-18-03-2025	150.08 150.08	40.00	110.08	65.05	45.03	32.00
6	17020/CE-HQ1/VR(PURNIRMAN)/MRT/2025-26 Dt- 29-09-2025	प्रा.ख. बुलन्दशहर	ग्रामपरवाना पथवारी से गालिमपुरा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	87/2025/547/001-23-9002(002)/15/2025- दिनांक-18-03-2025	99.95 99.95	12.42	87.53	29.58	57.95	52.56

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7	17215/CE-HQ1/VR(PURNIRMAN)/MRT/2025-26 Dt- 10-10-2025	नि.ख. मेरठ	ग्रामजसड़ (पंवार भट्टा) से गोटका सम्पर्क मार्ग।	87/2025/547/001-23-9002(002)/15/2025-दिनांक-18-03-2025	74.27 74.27	3.24	71.03	6.80	64.23	59.20
									योग	**464.42**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इस उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3)) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/ बी-1-352/दस-2025-231/2023, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,64,42,000 (रुपये चार करोड़ चौंसठ लाख बयालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371500 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुननिर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। ।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या- उपरोक्त एवं तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।

11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2

12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।